उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-269/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.206-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(263)-2023

लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित प्रयोजन के लिए शैक्षिक संस्था माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव